न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–115/2023

भुलन प्रसाद यादव...वादी

बनाम

ध्रुप यादव...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
20.08.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की तरफ से एक आवेदन दिनांक 02.05.2025 संबंधित आदेश 01 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 20.08.2025 को आदेश हेतु नियत है। वादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी उपस्थित होकर अपना ब्यान–तहरीरी दाखिल किए है। प्रतिवादी दिनांक 02.03.2024 को प्रस्तुत वाद में उपस्थित हुए है और वाद के दौरान वाद की जानकारी होते हुए दिनांक 23.07.2024 को दस्तावेज सं0–5708 के माध्यम से मोहम्मद आफताब से वादग्रस्त भूमि खाता सं0–37, खेसरा सं0–69 की भूमि बिक्री कर दिए है। प्रतिवादी ने अपने ब्यान–तहरीरी में कही भी जमीन बिक्री का जिक्र नहीं किया है। वादग्रस्त भूमि के क्रेता आफताब आलम द्वारा धमकी दिया गया कि उक्त जमीन खरीद लिए है और जबरन कब्जा कर लेंगे तो वादी को मालुम हुआ और वादी ने निबंधित कार्यालय में पता कर पक्का नकल प्राप्त किया। आफताब आलम को इस वाद में प्रतिवादी खाना में प्रतिवादी पक्षकार बनाना आवश्यक हो गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आफताब आलम, पिता– स्व0 मोहम्मद शरीफ, साकिन–वृति टोला मरहिया, पोस्ट एवं थाना– लौरिया, जिला–प0 चम्पारण को प्रतिवादी पक्षकार बनाने की कृपा करे। प्रतिवादी द्वारा वादी के आवेदन को कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा दिनांक 02.05.2025 को एक आवेदन अंदर आदेश 01 नियम 10 व्य0प्र0सं0 के तहत दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी दिनांक 02.03.2024 को प्रस्तुत वाद में उपस्थित हुए है और वाद के दौरान वाद की जानकारी होते हुए दिनांक 23.07.2024 को दस्तावेज सं0–5708 के माध्यम से मोहम्मद आफताब से वादग्रस्त भूमि खाता सं0–37, खेसरा सं0–69 की भूमि बिक्री कर दिए। इस हेतु आफताब आलम, पिता– स्व0 मोहम्मद शरीफ, साकिन–वृति टोला मरहिया, पोस्ट एवं थाना– लौरिया, जिला–प0 चम्पारण को प्रतिवादी पक्षकार बनाने की अनुमति प्रदान करे। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–115/2023</u>

भुलन प्रसाद यादव..वादी

बनाम

ध्रुप यादव..प्रतिवादीगण

लगातार 20.08.2025	सभी आवश्यक व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए, जिससे वाद का उचित निष्तारण किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सके। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी का आवेदन न्यायसंगत है। संबंधित व्यक्ति आवश्यक पक्षकार होना प्रतीत होते है और इस आवेदन को स्वीकार करने से वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत असर पड़ता प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी का आवेदन दिनांक 02.05.2025 को स्वीकार किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अंदर वह वाद पत्र में उक्त व्यक्ति का नाम प्रतिवादी कॉलम में जोड़े। वाद दिनांक 14.10.2025 को वादी द्वारा वाद पत्र में नाम जोड़ने वास्ते नियत किया जाता है। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	